उनवान रामस्वरूप V/s प्रभू प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA
मु०नं० 94/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में ज
23.07.25	पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का गौर अध्ययन किया गया तो पाया कि उक्त विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन नहीं हुआ है सह खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढे व कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो इस को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से ता फैसला मूल दावा जारी की जाती है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 0.97, 25 रकबा 0.56 वाके ग्राम बबेरवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर (राज०) की रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाऐ रखें। निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता शामिल मूल बाद हो। (हस्ताक्षर) (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	